ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 83

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1810.96	...	1810.96	2511.40	...	2511.40	1996.10	...	1996.10	2227.24	...	2227.24
वसूलियां	*-37.10*	...	-37.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1773.86**	**...**	**1773.86**	**2511.40**	**...**	**2511.40**	**1996.10**	**...**	**1996.10**	**2227.24**	**...**	**2227.24**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	9.56	...	9.56	10.40	...	10.40	10.10	...	10.10	11.24	...	11.24
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम	97.76	...	97.76	250.00	...	250.00	145.00	...	145.00	150.00	...	150.00
	-4.48	...	-4.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*93.28*	...	*93.28*	*250.00*	...	*250.00*	*145.00*	...	*145.00*	*150.00*	...	*150.00*
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. ईएपी घटक												
3.01 कार्यक्रम घटक	1699.39	...	1699.39	2146.00	...	2146.00	1826.00	...	1826.00	1961.00	...	1961.00
	-32.62	...	-32.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*1666.77*	...	*1666.77*	*2146.00*	...	*2146.00*	*1826.00*	...	*1826.00*	*1961.00*	...	*1961.00*
3.02 इ ए पी घटक	4.25	...	4.25	105.00	...	105.00	15.00	...	15.00	105.00	...	105.00
जोड़- ईएपी घटक	*1671.02*	...	*1671.02*	*2251.00*	...	*2251.00*	*1841.00*	...	*1841.00*	*2066.00*	...	*2066.00*
कुल जोड़	***1773.86***	***...***	***1773.86***	***2511.40***	***...***	***2511.40***	***1996.10***	***...***	***1996.10***	***2227.24***	***...***	***2227.24***
ख. विकासात्मकशीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-24.79	...	-24.79	38.25	...	38.25	20.41	...	20.41	38.00	...	38.00
2. भू सुधार	93.28	...	93.28	225.00	...	225.00	130.50	...	130.50	135.00	...	135.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	9.56	...	9.56	10.40	...	10.40	10.10	...	10.10	11.24	...	11.24
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**78.05**	**...**	**78.05**	**273.65**	**...**	**273.65**	**161.01**	**...**	**161.01**	**184.24**	**...**	**184.24**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	250.10	...	250.10	198.60	...	198.60	221.60	...	221.60
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1695.81	...	1695.81	1987.65	...	1987.65	1636.49	...	1636.49	1821.40	...	1821.40
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**1695.81**	**...**	**1695.81**	**2237.75**	**...**	**2237.75**	**1835.09**	**...**	**1835.09**	**2043.00**	**...**	**2043.00**
कुल जोड़	**1773.86**	**...**	**1773.86**	**2511.40**	**...**	**2511.40**	**1996.10**	**...**	**1996.10**	**2227.24**	**...**	**2227.24**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालयीय व्यय के लिए है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग का ध्यान, प्रयास और जोर यह है (क) डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में उचित समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए जो अन्य देशों के साथ-साथ भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी में सुधार करेगी, (ख) भूमि संसाधनों का उपयोग अनुकूलित करे, (ग) दोनों जमीन मालिकों और प्रॉस्पेक्टर्स, (घ) नीति और योजना में सहायता, (ङ) जमीन के विवादों को कम करने और (च) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन को जांचने और सभी उपलब्ध सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एकल-खिड़की एक-एक नजर प्रदान करते हैं , जमींदार, संबंधित अधिकारियों / एजेंसियों और इच्छुक व्यक्ति / उद्यमी आदि के लिए किसी भी भूखंड की उचित स्थिति देने के लिए प्रासंगिक जानकारी।

3. **ईएपी घटक:** 2009-10 में शुरूकिए गए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में मिला दिया गया था। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य और परिकल्पना भूमि,विशेष रूप से वर्षासिंचित कृषि योग्य क्षेत्रों और कृषि योग्य बंजरभूमि की उत्पादकता और आजीविका/आय क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना है। किए जा रहे कार्यकलापों में अन्य के साथ-साथ रिज क्षेत्र निरूपण,जल निकास लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनीकरण, बागवानी,चारागाह विकास,सम्पत्तिहीन लोगों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। 2009-10 से 2014-15 के दौरान28 राज्यों में केंद्र के हिस्से के रूप में 33,642.24 करोड़ रु. की लागत से लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल मेंकुल 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। विश्व बैंक सहायता प्राप्त नीरांचल परियोजना डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और 2141.30 करोड़ रू. की लागत से 09 राज्यों में 18 चुनिंदा जिलों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसे 50:50 आधार पर विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा साझा किया जाना है। परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान को कार्यान्वयक साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया है और वन अनुसंधान संस्थान को क्षमता संवर्धन सहायता एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।